प्रकरण संख्या–04 / 2022 GCMS ID-2022/16 तारीख रजु–25.01.2022

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

श्यामसिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 42 साल जाति मीना निवासी मोंगेंपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली
2. उम्मेद आयु 60 साल
3. जयलाल आयु 57 साल
4. दीनदयाल आयु 35 साल
5. रामखिलाडी आयु 45 साल
6. रामदीन आयु 30 साल
7. वकील आयु 47 साल

पिसरान प्रहलाद सभी जातियान मीना निवासीयान मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

8. माया पुत्री प्रहलाद पत्नि रामसिंह आयु 50 साल जाति मीना निवासी मोंगेपुरा हाल निवासी सहजापुर तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)
9. बुधो पुत्री प्रहलाद पत्नि टीकाराम आयु 42 साल जाति मीना निवासी मोंगेपुरा हाल निवासी जाटौली तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (मध्यप्रदेश)
10. गुड्डी पुत्री प्रहलाद पत्नि रामनिवास आयु 35 साल जाति मीना निवासी मोंगेपुरा हाल निवासी इमरतापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
11. नरपति पुत्र देवपाल आयु 57 वर्ष जाति मीना निवासी मोंगेंपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
12. श्रीनिवास दत्तक पुत्र देवपाल आयु 50 वर्ष जाति मीना निवासी मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील नामांतरकरण संख्या 421 दिनांक 16.10.2001 ग्रा0पं0 मोंगेपुरा पंचायत समिति मण्डरायल जिसके जरिये प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम श्यामसिंह के स्थान पर श्यामलाल गलत दर्ज कर दिया गया था

निर्णय

दिनांक 05.05.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट का नाम श्यामसिंह है लेकिन विरासत नामांतरकरण संख्या 421 दिनांक 16.10.2001 ग्राम मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल पारित करते समय तहसीलदार मण्डरायल द्वारा उक्त नामांतरकरण मे अपीलाण्ट का नाम श्यामलाल दर्ज कर दिया गया था जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम मोंगेंपुरा तहसील मण्डरायल का मूल निवासी है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिजन रेस्पोण्डेण्ट्स की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक भूमि खसरा नंबर 627 रकबा 0.6576 हैक्टेयर किस्म तीर–2 वाके ग्राम मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल में स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी अपीलाण्ट का 1/44 वां हिस्सा है। प्रार्थी अपीलाण्ट तथा प्रार्थी अपीलाण्ट के परिजन रेस्पोण्डेण्ट्स की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा

जिला कलक्टर
करौली

नंबर 124 रकबा 0.1137, खसरा नंबर 126 रकबा 0.1391, खसरा नंबर 128 रकबा 0.1138 खसरा नंबर 179 रकवा 1.2899, खसरा नंबर 208 रकवा 0.7208, खसरा नंबर 209 रकवा 0.7335, खसरा नंबर 210 रकवा 2.4408, खसरा नंबर 211 रकवा 1.0749, खसरा नंबर 213 रकबा 0.3541, खसरा नंबर 214 रकबा 0.7588, खसरा नंबर 239 रकबा 0.1518, खसरा नंबर 267 रकवा 1.0749, खसरा नंबर 577 रकवा 0.1897, खसरा नंबर 594 रकवा 0.3541 कुल किता 14 कुल रकवा 9.5100 हैक्टेयर वाके ग्राम मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल में स्थित है जिस भूमि में प्रार्थी अपीलाण्ट का हिस्सा 1 / 44 वां है। हम पक्षकारान् के पिता प्रहलाद की मृत्यु को काफी अधिक समय हो चुका है। पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी अपीलाण्ट बहुत कम उम्र का नाबालिग बालक था। पिता की मृत्यु के पश्चात् ऊपर वर्णित भूमियों का नामांतकरण संख्या 421 जरिये विरासत पटवारी हल्का मोंगेंपुरा ने मुझ प्रार्थी अपीलाण्ट तथा रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 2 लगायत 7 हमारी तीनों बहनों तथा विधवा मां के हक में खोला था। उक्त नामांतकरण को भरते समय पटवारी हल्का ने बिना जांच पडताल किये मुझ प्रार्थी अपीलांट के वास्तविक नाम श्यामसिंह के स्थान पर श्यामलाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया और उक्त विधि विरूद्ध नामांतकरण की भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डरायल द्वारा भी कोई जांच नहीं की गई तथा दिनांक 16.10.2001 को रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 तहसीलदार तहसील मण्डरायल ने भी विधि की अवज्ञा करते हुये विधि विरूद्ध भरे गये नामांतकरण को तस्दीक कर दिया। उक्त विधि विरूद्ध नामांतकरण के आधार पर प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम श्यामसिंह के नाम पर श्यामलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम श्यामसिंह है। प्रार्थी अपीलाण्ट को अपने वास्तविक नाम श्यामसिंह के नाम से ही संपूर्ण गांव तथा अपनी रिश्तेदारियों में जाना एवं पहचाना जाता है। इसलिए प्रार्थी अपीलाण्ट उक्त विधि विरूद्ध नामांतकरण को निरस्त कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना वास्तविक नाम श्यामसिंह दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेजों जिनमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं भामाशाह कार्ड में भी प्रार्थी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम श्यामालाल ना होकर श्यामसिंह ही दर्ज है। इसलिए प्रार्थी अपीलाण्ट उक्त गलत विधि विरूद्ध इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से हटाने एवं पुनः शुद्ध प्रविष्टी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी अपीलाण्ट को उक्त गलत नामांतकरण की जानकारी समय रहते नहीं हो सकी थी क्योंकि प्रार्थी अपीलाण्ट बचपन से ही केरल रहकर मजदूरी का कार्य करता है। प्रार्थी अपीलाण्ट को उक्त विधि विरूद्ध नामांतकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 07.07.2021 को राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई। इसलिए जानकारी दिवस से अपील प्रस्तुत करने तक में हुई देरी को न्याय हित में क्षम्य किया जाना न्यायोचित है। जानकारी दिवस में अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद प्रस्तुत है। अपील अपीलाण्ट उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत की जा रही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है

प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 12 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि नामांतरकरण संख्या 421 दिनांक 16.10.2001 ग्राम मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल में अपीलाण्ट श्यामसिंह का नाम सहवन से श्यामलाल गलत दर्ज हो गया है। यदि उक्त नामांतरकरण में श्यामलाल के स्थान पर श्यामसिंह संशोधित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो हमें इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि–

> "Limitation Act[1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal of reference by State Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilfull

जिला कलक्टर
करौली

management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants."

तथा आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filing The Appeal."

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित पाते हैं। अतः अपील प्रस्तुतिकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकॉर्ड आधार कार्ड संख्या 5251 0914 7167, मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/11/081/522010, भामाशाह कार्ड संख्या YKEUIIW, राशन कार्ड संख्या 007685500370, जन आधार कार्ड संख्या 4720174735 आदि से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का नाम श्यामसिंह पुत्र प्रहलाद निवासी मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल है जबकि नामांतरकरण संख्या 421 दिनांक 16.10.2001 ग्राम मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल में अपीलार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र प्रहलाद जाति मीना निवासी मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल दर्ज है। सहखातेदारान एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 12 ने भी उक्त नामांतरकरण में श्यामलाल के स्थान पर श्यामसिंह संशोधित करवाये जाने में किसी आपत्ति का नहीं होना अंकित किया है। अतः हम विवादित नामांतरकरण में अपीलार्थी का नाम श्यामलाल के स्थान पर श्यामसिंह दर्ज करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 421 दिनांक 16.10.2001 ग्राम मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली "श्यामलाल" के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलाधीन नामांतरकरण में श्यामलाल के स्थान पर श्यामसिंह अंकित करते हुए पुनः नामांतरकरण पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
करौली